

9.04.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली मे अधिवक्तागण की बहस एव साक्ष्य सबूतो को मध्यनजर रखते हुए। वादपत्र अनुसार निर्णय एव डिक्री अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाये जाने उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री की पालना मे तहसीलदार हनुमानगढ को पत्र जारी होकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।




सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ